प्रकरण संख्या : 29 / 2025
मांगीलाल बनाम राज. सरकार वगै.
निर्णय दिनांक : 03.02.2026

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी	:	संजू मीणा, RAS
प्रकरण संख्या	:	29 / 2025
दायर दिनांक	:	06.06.2025
निर्णय दिनांक	:	03.02.2026

1. मांगीलाल पुत्र मोतीलाल जाति बैरवा, निवासी हल्दीना तहसील मालाखेडा जिला अलवर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
2. रेवडराम पुत्र सेडूराम जाति बैरवा, निवासी नांगल गोविन्द तहसील लवाण जिला दौसा
3. भगवान सहाय पुत्र प्रभाती जाति बैरवा, निवासी बागपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी * उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा *

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर ग्राम डगलाव तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 201 / 131 रकबा 0.6375 है. की पत्थरगढी करवाने का अनुतोष चाहा गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 2, 3 की ओर से प्रकरण में अनापत्ति जतायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार दौसा ने अपने जवाब में अंकित किया कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रश्नगत आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। प्रश्नगत आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है।

प्रकरण में बहस पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाने का अनुतोष चाहा गया है। मुताबिक जवाब तहसीलदार दौसा प्रश्नगत आराजी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने, प्रश्नगत आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान होने एवं प्रश्नगत आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं होने की पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम डगलाव तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 201 / 131 रकबा 0.6375 है. का अनुभवी पटवारियों / भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थी की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थी के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस / होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। पालनार्थ तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(संजू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)